कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,
विकास खण्ड-बकावण्ड, जिला-बस्तर (छत्तीसगढ़)

विज्ञापन

क्रमांक/वि.खं.शि.अ./स्था0 01 /139/2024, बकावण्ड, दिनांक 17/01/2024

राज्य परियोजना कार्याल्य समग्र शिक्षा छ0ग0 द्वितीय तल एकीकृत शिक्षा भवन रायपुर के पत्र कमांक/4771/समग्र शिक्षा /पीएमश्री योजना/2023 रायपपुर दिनांक 28.11.2023 एवं कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला बस्तर शाखा समग्र शिक्षा (माध्यमिक स्तर) के पत्र कमांक /71/एस0एस0 7 एस0ई अशंकालीक योग शिक्षक /2023 – 2024 जगदलपुर दिनांक 16.01. 2024 में प्राप्त निर्देशानुसार विकासखण्ड बकावण्ड के **पीएमश्री शाला प्रा0शा0 तारापुर यूडाईस कोड 22152916003 हेतु** स्वीकृत **01** पद में अंशकालिक योगा/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक की नियुक्ति हेतु निश्चित मानदेय प्रतिमाह 10000.00 (दस हजार रूपये मात्र) कुल 03 माह के लिए नियुक्ति हेतु योग्यता धारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड बकावण्ड जिला बस्तर छ0ग0 पिन कोड 494222 में दिनांक 29/01/2024 को सायं 5:00 बजे तक कार्यालयीन समयावधि में साधारण डाक/कुरियर/पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम या स्वयं कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- वेतन विवरण/शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण निम्नानुसार है :–

पद का नाम	पद संख्या	निर्धारित मानदेय	न्यूनतम योग्यता
अंशकालिक योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक	01	10000/– एकमुश्त	1. किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उत्तिर्ण। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डी0पी0एड0/बी0पी0एड अथवा योग विज्ञान में पी0जी0 डिप्लोमा /डिग्री अथवा समकक्ष।

नियम एवं शर्तें :–

1. उम्मीदवारों को समग्र शिक्षा द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा। निर्धारित अवधि (03 माह) के पश्चात् संबंधित की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।
2. चयन उपरान्त उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगें।
3. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामलें में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
4. चयनित उम्मीदवार को चयन की सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से दी जायेगी। चयनित उम्मीदवार का अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्त्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को उक्त चयन की औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।

Sh.

5. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन/अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
6. विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक योग्यता ही मान्य किये जायेगें।
7. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रमाण पत्रों की छाया प्रति स्पष्ट होनी चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किये जायेगें।
8. आवेदक की आयु 01 जनवरी 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति एंव अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) महिलओ, निःशक्तजन,शासकीय,कर्मचारियों, संविदा, कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु सीमा में छूट को लाभ प्राप्त होगा किन्तु सभी देय छूटो को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु – सीमा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।
9. अभ्यार्थि को समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करान अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जावेगा तथा संबंधित अभ्यर्थी को अपात्र किया जा सकेगा। आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व समस्त योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
10. अभ्यर्थी के चयन हेतु निम्नानुसार पदवार शैक्षणिक योग्याता के अंको के प्रतिशत् का अधिभार निर्धारित किया गया है। :–

अभ्यार्थियों के चयन हेतु अंक तालिका का विवरण :–

(कुल 100 अंक)

कमांक	पद का नाम	10वीं	12वीं	स्नातक
01	योग /खेल शिक्षक/प्रशिक्षक	10 वीं में प्राप्त प्रतिशत का 20 प्रतिशत अंक	12 वीं में प्राप्त प्रतिशत का 30 प्रतिशत अंक	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत का 50 प्रतिशत अंक

11. नियुक्ति प्रक्रिया में वाद विवाद /संशय कि स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम / सर्वमान्य एवं बाध्यकारी होगा।
12. कोई भी अभ्यार्थी जिसे किसी अपराध या अन्य अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि किसी अभ्यार्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जाएगा, जब तक उस अपराधिक प्रकरण का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाये।
13. चयन उपरांत संबंधित आवेदक द्वारा पद ग्रहण के एक माह के भीतर जिला मेडिकल बोर्ड छ0ग0 द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में अथवा मेडिकल रूप से फिट नही होने की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जावेगी।
14. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
15. आवेदक को छ0ग0 का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु आवेदक को सक्षम अधिकारी से जारी निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. विज्ञापित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन हेतु अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

17. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जायेगें तथा अमान्य /अस्वीकृत आवेदनों के सबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।
18. आवेदन के साथ दो लिफाफा जिसमें 10–10 रू0 के टिकट सहित वर्तमान पता स्पष्ट होना चाहिए व आवेदक स्वयं कार्यालयीन समयावधि में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन पत्र जमा कर सकते है।
19. निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छानबीन उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची दावा आपत्ति हेतु विकासखण्ड स्तरीय चयन समिति (कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड बकावण्ड) के सूचना पटल पर उपलब्ध रहेगा।
20. आवेदकों का चयन मैरिट के आधार पर किया जावेगा।
21. चयनित उम्मीदवार के पद ग्रहण नहीं करने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में से मैरिट अंक के आधार पर अगले उम्मिदवार का चयन किया जायेगा।
22. विज्ञापित पद हेतु इच्छुक अभ्यर्थी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड बकावण्ड जिला बस्तर छ0ग0 पिन कोड 494222 में दिनांक 29/01/2024 को सायं 5:00 बजे तक कार्यालयीन समयावधि में साधारण डाक/कुरियर/पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम या स्वयं कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। नियत तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
23. विज्ञापन की विस्तृत एंव अद्यतन जानकारी हेतु बस्तर जिले के वेबसाईट https://bastar.gov.in का नियमित अवलोकन करते रहें।

17.01.24

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,
विकास खण्ड-बकावण्ड

छत्तीसगढ़ रोजगार समाचार